कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - principal@klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं.–0755–2970310

क्रंमाक/क्रय/2017/1559 भोपाल, दिनांक 22/6/17

प्रति,

संचालक महोदय
जनसम्पर्क संचालनालय
भोपाल

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करवाने बाबत् ।

–:00:–

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता(अंशकालिक अनुबंध) की आवश्यकता है, इस हेतु स्थानीय दैनिक समाचार के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने का कष्ट करेगें।

संलग्नः– विज्ञापन 08 प्रतियों में।

22/06/17

प्र. प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
मो.नं. 9425373046

JUN 2017
94635

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - principal@klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं.–0755–2970310

क्रंमाक / क्रय / 2017 / 1559

भोपाल, दिनांक 22-6-17

1. द्वितीय निविदा सूचना

अतिथि व्याख्याता(अंशकालिक अनुबंध)

संस्थान में बी.ए.एम.एस. प्रथम व्यवसायिक में अध्यनरत सत्र 2017–18 छात्र / छात्राओं को संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु एक संस्कृत अतिथि अध्यापक एवम् स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्टेटिस्टिशियन अतिथि अध्यापक की आवश्यकता है। उक्त दोनों सेवाएं अंशकालिक अनुबंध के आधार पर निष्पादित होगी। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 12.07.2017 तक सादे कागज में आवेदन पत्र के साथ(पता एवं दूरभाष / मोबाइल नं. अंकित करें) अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों सहित प्रधानाचार्य कार्यालय में सांयः 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

अंशकालिक अनुबंध से संबंधित विस्तृत विवरण एवं नियम शर्ते संस्थान बेवसाइट **www.klsgaci.edu.in** पर उपलब्ध है।

22/06/17

प्र. प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
मो.नं. 9425373046

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310
e - mail: - Principal@Klsgaci.edu.in

क्रमांक / स्था.कक्ष / 2017 / 1552 भोपाल, दिनांक 21/6/17

–:: अतिथि अध्यापक संस्कृत (अंशकालिक अनुबंध) हेतु योग्यता एवं शर्ते ::–

1. संस्थान में स्वीकृत संस्कृत व्याख्याता (जो कि प्रतिनियुक्ति से अन्य विभागों से भरा जाना है) पर प्रतिनियुक्ति से संस्थान में पदस्थ होने तक अथवा 15 मई 2018 तक (जो भी पहले हो) अनुबंध के आधार पर तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 संस्कृत अतिथि अध्यापक की आवश्यकता है।
2. संस्थान के स्वशासी समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार मानदेय प्रतिकाल खण्ड राशि रूपये–300/– (तीन सौ रूपये मात्र) देय होंगे, जो कि प्रतिमाह राशि रूपये–15,000/– (पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक नहीं होंगे।
3. 15 मई 2018 के पश्चात अतिथि अध्यापक का कार्यकाल स्वयंमेव ही समाप्त हो जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी। तथापि संस्था एवं अनुबंधित अतिथि व्याख्याता की सहमति से एक वर्ष के लिये अनुबंध में वृद्धि की जा सकेगी।
4. विभागाध्यक्ष, संहिता सिद्धान्त के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापक किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
6. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
7. छात्रों की अनुपस्थिति अवधि में विश्वविद्यालयीन अवकाश एवं शासकीय अवकाश के दिनों में कक्षाओं का संपादन नहीं होने के कारण उक्त दिनों हेतु मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
9. अनुबंधित उम्मीदवार को आमंत्रण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
10. संस्कृत अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएगे, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत **"लोक सेवक"** नहीं माने जायेंगे।
11. कालखण्ड की अवधि संस्थान द्वारा जारी समय–चक्र के अनुसार रहेंगी।
12. <u>योग्यता</u>–विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर (एम.ए.) अथवा समकक्ष उपाधि। पी.एच.डी. उपाधि धारी को अतिरिक्त अंक देय होंगे।
13. <u>चयन</u>–प्राप्त आवेदन–पत्रों को छानबीन उपरान्त निम्नानुसार अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट (पैनल) तैयार की जावेगीः–स्नातक अंक–70, स्नातकोत्तर अंक–20 तथा पी.एच.डी.उपाधि अंक–10.
14. इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज में आवेदन–पत्र के साथ (पता एवं दूरभाष/मोबाईल नं. अंकित करें) अपने सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियों के साथ दिनांक 12/07/2017 को सायं काल 05:00 बजे तक **"प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल"** में जमा कर सकते हैं।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

D/PUSHPENDRA SINGH/Letter

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,

(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462003)

Website: - www.klsgaci.edu.in दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310

e - mail: - Principal@Klsgaci.edu.in

क्रमांक / स्था.कक्ष / 2017 / 1553 भोपाल, दिनांक 21/6/17

—:: अतिथि अध्यापक स्टेटिस्टीशियन (अंशकालिक अनुबंध) हेतु योग्यता एवं शर्ते ::—

1. संस्थान में स्वीकृत स्टेटिस्टीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा सत्र 2017–18 के अंत तक जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 स्टेटिस्टीशियन अतिथि अध्यापक की आवश्यकता हैं।
2. संस्थान के स्वशासी समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार मानदेय प्रतिकाल खण्ड रूपये 300/– (राशि तीन सौ मात्र) देय होंगे, जो कि प्रतिमाह राशि रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक नहीं होंगे।
3. संस्थान में प्रवेशित पी.जी./यू.जी. पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2017–18 के अन्तर्गत विषय स्टेटिस्टिक्स के अध्यापन हेतु अध्यापन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिथि अध्यापक की सहमति के साथ उक्त अनुबंध आगामी शिक्षण सत्र हेतु एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
4. विभागाध्यक्ष स्वस्थवृत्त विभाग के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापक किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
6. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
7. छात्रों की अनुपस्थिति अवधि में, विश्वविद्यालयीन अवकाश एवं शासकीय अवकाश के दिनों में कक्षाओं का संपादन नहीं होने के कारण उक्त दिनों हेतु मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
9. अनुबंधित उम्मीदवार को आमत्रंण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।
10. स्टेटिस्टीशियन अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएगे, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत **"लोक सेवक"** नहीं माने जायेंगे।
11. काल खण्ड की अवधि संस्थान द्वारा जारी समय–चक्र के अनुसार रहेंगी।
12. **योग्यता**–विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस.सी. गणित/स्टेटिस्टिक्स की उपाधि। शैक्षणिक अनुभव को वरीयता।
13. **चयन**–प्राप्त आवेदन–पत्रों को छानबीन उपरान्त निम्नानुसार अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट (पैनल) तैयार की जावेगीः–स्नातक अंक–70, स्नातकोत्तर अंक–20 तथा शैक्षणिक अनुभव–प्रतिवर्ष 02 अंक, अधिकतम अंक–10.
14. इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज में आवेदन–पत्र के साथ (पता एवं दूरभाष/मोबाईल नं. अंकित करें) अपने सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियों के साथ दिनांक 12/07/2017 को सायं काल 05:00 बजे तक **"प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल"** में जमा कर सकते हैं।

(डॉ. उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी